उत्तराखण्ड शासन

मा0 मुख्यमंत्री जी

उत्तराखण्ड

की

अध्यक्षता में

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र

की बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 03 अगस्त, 2022 समयः प्रातः 10:30 बजे

स्थानः वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार,

सचिवालय परिसर,

देहरादून।

एजेण्डा बिन्दु

एजेण्डा बिन्दु सं०–1 मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को उद्योग संघों के साथ आहूत संवाद बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही की प्रगति।

मा0 मुख्यमंत्री जी की पहल पर दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को प्रदेश के उद्योग संघों/उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा एवं समाधान हेतु होटल मधुबन, देहरादून में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उद्योग संघों/उद्यमियों द्वारा विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 77 बिन्दु उठाये गये थे। इनमें से 41 बिन्दुओं का पूर्ण समाधान हो चुका है, 22 बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है तथा 14 बिन्दु निस्तारित कर दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संवाद कार्यक्रम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन/प्रगति की समीक्षा हेतु समय–समय पर आयोजित समीक्षा बैठक तथा शासन स्तर पर उद्योग संघों/उद्यमियों के साथ आहूत बैठकों में भी 56 बिन्दु उठाये गये हैं। इस प्रकार संवाद कार्यक्रम तथा उच्च स्तर पर आयोजित बैठकों में विभिन्न विभागों/संस्थाओं से सम्बन्धित कुल 133 बिन्दु उठाये गये थे, जिनकी अद्यतन प्रगति तथा अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

एजेण्डा बिन्दु सं०–2 उद्योग संघों तथा जिला उद्योग मित्र से प्राप्त नये सुझाव/सन्दर्भित बिन्दुः–

1. उद्योग विभागः

i नई एमएसएमई नीति के प्राख्यापन के सम्बन्ध मेंः

एमएसएमई नीति–2015 दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी है। राज्य में पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हेतु उक्त नीति की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व नई एमएसएमई नीति प्रख्यापित की जानी आवश्यक है।

ii प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु सभी क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्राधिकार सीडा को दिये जाने के संबंध मेंः

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार सीडा के पास है, किन्तु इसके बाहर विकास प्राधिकरणों में मानचित्र स्वीकृति की अलग–अलग व्यवस्था है और जो क्षेत्र विकास प्राधिकरण से बाहर हैं, वहां पर कोई भी एजेंसी उद्योगों के मानचित्र स्वीकृति के लिए अधिकृत नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र स्वीकृत करने के लिए सीडा को अधिकृत कर दिया जाय, ताकि उद्यमियों के सम्मुख आ रही समस्या का समाधान हो सके।

iii. सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिये सिडकुल द्वारा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना।

सिडकुल में नये उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण नये प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है अतः सिडकुल द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सूक्ष्म व लघु उद्यमों हेतु नये औद्यौगिक आस्थान/क्षेत्र विकसित किये जाने आवश्यक हैं।

iv. प्लास्टिक रिसाईकिलिंग उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने विषयक।

दिनांक 01 जुलाई, 2022 से सम्पूर्ण देश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित किया जा चुका है। इनको हतोत्साहित करने तथा अन्य प्लास्टिक आधारित उद्योगों में रिसाईकिलिंग सुविधा को प्रोत्साहित किया जाना राज्य हित में है। अतः इसके लिये अलग से नीति बनाये जाने पर विचार किया जाये।

v. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में सी.ई.टी.पी. की स्थापना।

समय–समय पर एनजीटी तथा न्यायालयों से प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के औद्यौगिक आस्थानों/क्षेत्रों में सी.ई.टी.पी. की स्थापना के आदेश जारी किये जाते रहे हैं। इन आदेशों के अनुपालन तथा पर्यावरणीय संरक्षण के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सी.ई.टी.पी. की स्थापना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्यौगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर, जहां कहीं सी.ई.टी.पी स्थापना की आवश्यकता है, का अध्ययन करते हुये तत्काल Status Report तैयार की जाय।

2. <u>उद्यान विभाग:</u>

i. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भांग के कृषिकरण एवं प्रसंस्करण की नीति का प्रख्यापन।

भांग के औद्योगिक प्रयोजन के कृषिकरण/प्रसंस्करण की स्पष्ट नीति न होने से राज्य में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति का प्राख्यापन आवश्यक है।

3. <u>आबकारी विभाग:</u>

i. मैथेनॉल की लाईसेन्स की वैधता 1 वर्ष से बढाकर 5 वर्ष किये जाने के संबंध में।

वर्तमान में मैथनॉल लाईसेंस की वैधता अवधि 1 वर्ष के लिये होती है। 1 वर्ष बाद पुनः लाईसेन्स के नवीनीकरण कराने में उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उद्यमियों द्वारा यह मांग की गयी है कि मैथेनॉल लाईसेन्स की वैधता अवधि 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निर्धारित की जाय।

ii. एफएल–43 तथा एनडीएलडी लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

एफएल–43 तथा एनडीएलडी लाइसेंस की वैधता अवधि में वृद्धि की जाय।

4. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग:

i स्टोन क्रशर नीति 2019 के अन्तर्गत पल्वराइजर प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों/प्रक्रिया का शिथिलीकरण/सरलीकरण।

a. स्टोन क्रशर नीति 2019 में पल्वराइजर प्लांट के लिए लाइसेन्स/अनुज्ञा हेतु मानकों में शिथिलीकरण कर लाइसेन्स/भण्डारण हेतु एक ही आवेदन पत्र पर आवेदन की व्यवस्था कर शुल्क में कमी की जाय।

b. स्टोन क्रशर नीति–2019 प्रख्यापित होने से पूर्व प्रदेश में स्थापित छोटी–छोटी पल्वराईजर इकाईयों को लाइसेन्स जारी करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास था। इन इकाईयों द्वारा यह मांग की गयी है कि उक्त नीति लागू होने से पूर्व स्थापित इकाईयों को अनुज्ञा देने का अधिकार जिलाधिकारी के पास ही रखा जाय और भण्डारण/लाइसेन्स छूट हेतु एक ही आवेदन पत्र में आवेदन करने का प्राविधान करते हुए इसके लिए निर्धारित शुल्क रू. 2.00 लाख के स्थान पर रू. 50000 किया जाय।

5. ऊर्जा विभाग:

i. ओपन एक्सेस से विद्युत क्रय करने वाली इकाईयों को ग्रीन सेस में छूट दिये जाने के संबंध में।

ओपन एक्सेस से विद्युत क्रय करने वाली औद्योगिक इकाईयों को ग्रीन एनर्जी सेस से मुक्त रखा जाय।

ii. कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट से उत्पादित अवशेष ऊर्जा को यूपीसीएल द्वारा खरीदे जाने के सम्बन्ध में।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु सौर ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन के संयंत्र (Captive Power Plant) स्थापित किये गये हैं। इकाईयों द्वारा स्थापित संयंत्र में से उत्पादित ऊर्जा के इकाई में उपयोग के उपरान्त भी कुछ ऊर्जा अवशेष रह जाती है। ऐसी इकाईयों की यह मांग है कि इस अवशेष ऊर्जा को यूपीसीएल द्वारा क्रय किया जाय।

6. आयुष विभाग:

i. आयुर्वेदिक दवाईयों के विनिर्माण हेतु विधियों एवं नियमों के प्राख्यापन के सम्बन्ध में।

प्रदेश में आयुर्वेदिक दवायें निर्माणक इकाईयों की स्थापना की काफी अच्छी सम्भावनायें हैं और राज्य में उद्यमी आयुर्वेदिक दवाईयों के निर्माण के लिए आगे आ रही हैं। आयुर्वेदिक दवाईयों के निर्माण एवं गुणवत्ता हेतु अद्यतन डॉक्यूमेन्टेशन एवं पारदर्शी मानक/विधियां प्रख्यापित न होने से वर्तमान में प्रचलित नियमों की व्याख्या वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं की जा रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार को प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिये, ताकि राज्य को इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके।

ii. सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना।

प्रदेश में आयुर्वेदिक क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जाय।

7. पर्यटन/वन विभागः

i. पारिस्थितिक पर्यटन नीति का प्रख्यापन।

वर्तमान में राज्य की कोई पारिस्थितिक पर्यटन नीति नहीं है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पृथक से राज्य की ईको टूरिज्म नीति तैयार की जानी आवश्यक है।

8. कर विभागः

i. राज्य से निर्यातक इकाईयों को आईजीएसटी की प्रतिपूर्ति।

निर्यात में सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता है, इन्हीं में कुछ वस्तुयें ऐसी है, जिनमें 5 प्रतिशत की दर से कर की गणना की जाती है। रिफंड के समय वास्तविक देय कर पर ही गणना कर अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाय।

ii. अवशेष व्यापार कर हेतु वन टाईम सेटलमेंट योजना।

राज्य की विभिन्न इकाईयों के कर संबंधी देयतायें लम्बित है। राज्य कर विभाग द्वारा पूर्व में योजना लागू की गयी किंतु योजना की जटिल शर्तों के कारण इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाया। औद्योगिक इकाईयों की यह मांग है कि अवशेष धनराशि यदि कोई इकाई एकमुश्त जमा करती है, तो उसके ब्याज और अर्थदण्ड को माफ करने पर विचार किया जाय।

9. लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/अन्य राजकीय निर्माण संस्थाएंः

i. राज्य की स्टील विनिमार्णक इकाईयों से शासकीय क्रय में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालय/निर्माण इकाईयों में भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा प्रमाणित स्टील की आपूर्ति को मान्यता प्रदान की गयी है। राज्य के राजकीय निर्माण संस्थाओं द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यदि राज्य में ही इसकी खरीद की जाती है तो निर्माण संस्थाओं को सस्ते मूल्य पर सामग्री प्राप्त होगी और उनकी निर्माण लागतों में कमी आयेगी।

ii. महुआखेड़ागंज रेलवे क्रॉसिंग से खाईखेड़ा तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।

महुआखेड़ा गंज से खाईखेड़ा तक मोटर मार्ग अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, जिससे आवागमन में दोगुना समय लग रहा है और सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

iii. महुआखेड़ागंज (काशीपुर) स्थित निजी औद्योगिक आस्थानों से सम्बद्ध सड़कों का पुनर्निर्माण।

महुआखेड़ागंज (काशीपुर) स्थित निजी औद्योगिक आस्थानों से सम्बद्ध सड़कों की मरम्मत न होने से यह सड़कें अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। सुविधाजनक आवागमन के लिए इन सड़कों का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है।

10. वित्त विभाग:

i. सभी करों/शुल्क/फीस की सुविधा बैंकों के माध्यम से भी दिया जाना।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उद्योगों को देय सभी कर/शुल्क/फीस परंपरागत रूप से कोषागार के माध्यम से ही भुगतान किया जाना होता है। उद्योग संघों की यह मांग है कि इस प्रकार के भुगतान प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से करने की सुविधा भी प्रदान की जाये, जिससे कि सुविधानुसार समय पर भुगतान हो सके।

11. वन विभाग/वन निगम:

i. लीसा उठान की सुविधा जनपद स्तर पर करने विषयक।

पर्वतीय क्षेत्र की लीसा उत्पादक इकाईयों द्वारा यह बताया गया है कि वन निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से लीसा लाकर अपने मैदानी क्षेत्र में स्थित डिपो में भण्डारण कर इन भण्डारण डिपो से लीसा का आवंटन किया जाता है, जिसके कारण उन्हें मैदानी क्षेत्र से इकाई के स्थल तक कच्चा माल लीसा लाने में अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ रहा है। लीसा उत्पादक इकाईयों की यह मांग है कि वन निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की इकाईयों को जहां पर वह उस जनपद में लीसा का संग्रहण करते हैं, से ही आवंटन किया जाय, ताकि उन्हें अतिरिक्त परिवहन लागत वहन न करनी पड़े।

12. भारतीय रेलवे:

i. ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेललाईन परियोजना का विस्तार।

उद्योग संघों द्वारा यह मांग की गयी है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेललाईन परियोजना का विस्तार जनपद बागेश्वर तक किया जाय, ताकि जनपद बागेश्वर में रेल लाईन परियोजना के आने से व्यवसायिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।

13. उकाडा**(UCADA)**:

i. जनपद बागेश्वर के मेलाडुंगरी हैलीपैड से नियमित हैलीकॉप्टर सेवा के संबंध में।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु जनपद बागेश्वर के मेलाडुंगरी (बैजनाथ) हेलीपैड से

नियमित हैलीकॉप्टर सेवा प्रारम्भ की जाय।

14. <u>सिंचाई विभागः</u>

i. रायपुर लकेशरी औद्यौगिक क्षेत्र में पानी की निकासी की व्यवस्था।

रायपुर लकेशरी औद्यौगिक क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु लकेशरी एवं रायपुर इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए Stakeholders के साथ विचार विमर्श कर सिचांई विभाग द्वारा लकेशरी एवं रायपुर औद्यौगिक क्षेत्र की संशोधित डी0पी0आर0 धनराशि रू. 4207.24 लाख शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसकी स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है।

ii. औद्यौगिक आस्थान रामनगर एवं सलेमपुर राजपूताना रूड़की में जल निकासी के सम्बन्ध में।

औद्यौगिक आस्थान रामनगर एवं सलेमपुर राजपूताना रूडकी में जल निकासी की समस्या बनी हुई है इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु सं०–3 अन्य विषय, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।